

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म-VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या-8 (4)

आवेदन संख्या CN-428/25-26 दिनांक 22-9-25 के संदर्भ में
श्रीमति/श्री कपिलदेव सिन्हा पिता/पति सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जिला-पूर्णियाँ के लिए

(क) 1+4 आवासीय भवन के निर्माण

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णियाँ/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्रोजेक्ट - मधुबनी प्लॉट नं० 2218, 2219 (सी0एस0) प्लॉट नं० (एम0एस0पी) 143 खाता संख्या 143 होलिंग संख्या 14/161 गाँव पूर्णियाँ मोहल्ला सिपाहीपुरा वार्ड नं० 05 के बावत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. भूमि/भवन का उपयोग आवासीय/व्यवसायिक के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।

अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 407.15m मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.19 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

5. प्ररनगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा के अवश्य हो।

6. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

9. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

10. जल संचय (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं संशोधित भवन उपविधि 2022 में उपबंधित अन्य सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ उक्त भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

14/9/2025

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।